निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 770) पटना, मंगलवार, 14 जुलाई 2026

सं० 2जी(आयोग) अनु.जाति जन जाति–15/2010–222
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प
11 फरवरी 2011

विषय – राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन/भत्ते एवं सेवा शर्तें आदि का निर्धारण।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–5614, दिनांक–18/11/2009 के द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना का गठन किया गया है। इस क्रम में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण विचाराधीन था।

02. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/भत्ते, सेवाशर्तो आदि का निर्धारण निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया है :–

(1) वेतन एवं भत्ते ।–

(i) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ता अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग को अनुमान्य होगा।

(ii) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन का हकदार होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अनुमान्य होगा।

(2) श्रेणी एवं प्रतिष्ठा ।– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की श्रेणी पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के अध्यक्ष एवं सदस्य के अनुरूप अनुमान्य होगी।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर मूल सेवा से निवृति ।–वैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार को सेवा में थे, उन्हें आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख के प्रभाव से ऐसी सेवा से निवृत माना जाएगा।

(4) छुट्टी ।– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित रूप से छुट्टी का हकदार होगा :–

(क) समय–समय पर यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के अनुसार उपार्जित छुट्टी अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी/असाधारण छुट्टी।

(ख) समय–समय पर यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों को यथा अनुमान्य असाधारण छुट्टी।

(5) पेंशन ।–

(1) ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहें हो अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर या अधिवर्षिता की आयु होने तक, जो भी पहले हो, अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था, उस सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृति सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा, जो यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से सकल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमें पेंशन का कोई भाग जो रूपांतरित हुआ हो और अन्य सेवा निवृति सुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जाएगा तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति प्रसुविधाएं पृथकतः करने का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, यदि वह उपर्युक्त उप कंडिका में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पहले या जिस सेवा में रहा हो उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृति प्रसुविधाएं के लिए की जाएगी।

(3) ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को कोई पेंशन देय नहीं होगी, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदग्रहण करने के तुरंत पहले केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं रहा हो।

(6) भविष्य निधि ।–

(1) ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसे सामान्य भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि की प्रसुविधाएं मिली हुई थी, वह उस निधि में उस तारीख तक अंशदान जारी रख सकेगा, जिस तारीख को वह अपनी मूल सेवा में लागू नियमों के अनुसार सेवानिवृत नहीं हो जाता। अंशदायी भविष्य निधि को दशा में, उस निधि में देय नियोजक का अंशदान आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से उन परिलब्धियों के आधार पर आयोग द्वारा देय होगा, जो वह नियुक्ति के तुरंत पहले धारित पद पर प्राप्त कर सकता। इसके अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाला सदस्य अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप में अपना विकल्प संसूचित करेगा और इस प्रकार प्रयुक्त विकल्प अंतिम होगा।

(2) **ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय ।–**

(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व जिस सेवा में वह था, उस पर लागू नियमों के अधीन अपनी पेंशन एवं अन्य सेवा निवृति प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा

(ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार का किसी स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले नियंत्रित अन्य प्राधिकार को अधीनस्थ सेवा से निवृत हो चुका हो, अथवा,

(iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निकाय अथवा सरकार पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले किसी अन्य प्राधिकार की सेवा में नहीं रहा हो,

वह अंशदायी भविष्य निधि योजना की प्रसुविधा में सम्मिलित किये जाने का हकदार होगा और इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर यथा संशोधित अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियमावली, 1962 द्वारा शासित होगा।

(7) (I) (क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने के दशा में सेवा–शर्तें वही होगी, जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को अनुमान्य है, और

(ख) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दशा में सेवा शर्तें वही होगीं, जो समय–समय पर यथासंशोधित जाँच आयोग/समिति में नियुक्ति होने पर सेवानिवृत न्यायाधीशों के वेतन–निर्धारण एवं अन्य शर्तों से संबंधित सरकारी अनुदेशों के अधीन अनुमान्य है। अध्यक्ष होने पर समय–समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुसार सत्कार भत्ता का हकदार होगा।

(ग) सत्कार भत्ता– आसीन/सेवा निवृत अध्यक्ष होने पर समय–समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुसार सत्कार भत्ता का हकदार होगा।

(II) सदस्यों की जिन सेवा–शर्तों के अलग स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे वही होगी जो समय–समय पर बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निमित्त लागू होगी।

(8) वाहन सुविधा ।–आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण के लिए ए0सी0 वाहन अनुमान्य होगें। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण के वाहन पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक–502, दिनांक–8.3.07 के आलोक में ईंधन हेतु प्रतिमाह 250 लीटर पेट्रोल/डीजल अनुमान्य होंगे। साथ ही सरकारी वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में भाड़े पर सहजता से उपलब्ध होने वाले वातानुकूलित स्कार्पियों/बोलेरो/इंडिगो वाहन अनुमान्य होगा।

(9) दूरभाष सुविधा ।– आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए मोबाईल कूपन हेतु प्रतिमाह 1500/–रू0 तथा वर्ष में कुल 18000/– रू0 अधिकतम् अनुमान्य होगा। आयोग के सदस्यों को बेसिक दूरभाष सुविधा अनुमान्य होगा।

(10) समाचार पत्र एवं पत्रिका ।–आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर व्यय हेतु प्रतिमाह रू0 800/– अधिकतम अनुमान्य होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राष्ट्रीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद/बिहार लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राज्य महादलित आयोग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश कुमार वर्मा,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 770-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in